DOI-10.53571/NJESR.2019.1.1.37-44

भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

डॉ. वीना ढ़ेनवाल
सहआचार्य
राजनीती विज्ञान
राजकीयलोहियामहाविधालय
चूरू
dhenwalveena@gmail.com
(Received:1January2019/Revised:15January2019/Accepted:25January2019/Published:30January2019)

भारतीय समाज में महिलाएं इतने लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। आज शनेः शनेः महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माना जाने लगा है, परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थीं। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों, और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतन्त्रता के बावजूद अंसख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को निम्न तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं-

- आपराधिक हिंसा, जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या
- घरेलू हिंसा जैसे दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नि को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं और / या वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार
- सामाजिक हिंसा जैसे पत्नि / पुत्रवधु को मादा भ्रूण (female foeticide) की हत्या के लिये बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्र-वधु को और अधिक दहेज लाने के लिये सताना ।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में से दो-तिहाई अपराध (62.6 प्रतिशत) केवल पांच राज्यों में (मध्य प्रदेश 17.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश - 15.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र - 13.9 प्रतिशत, आन्ध्रप्रदेश 7.9 प्रतिशत और राजस्थान 7.5 प्रतिशत) मिलता है तथा शेष 37.4 प्रतिशत अपराध 20 राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में मिलता है । परन्तु यह सुविज्ञ है कि सब मामलों की विभिन्न कारणों से शिकायत नहीं होती हैंऔर उन्हें दर्ज नहीं किया जाता है। घरेलू हिंसा के मामलों जैसे - पत्नि को पीटना और परिवार की स्त्रियों के साथ किया गया कौटुम्बिक व्यभिचार, की शिकायत नहीं की जाती। संकलित मामलों को देखने से हमें महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की प्रकृति और विस्तार के बारे मेंअनुमान हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों के विस्तार और लक्षणों का विश्लेषण निम्न प्रकार से है-

बलात्कार (Rape)

बलात्कार की समस्या सभी देशों में गंभीर मानी जाती हैं फिर भी सांख्यिकी रूप से यह पाश्चात्य समाज की तुलना में इतनी गंभीर नहीं है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में बलात्कार के अपराधों की प्रति लाख प्रतिवर्ष दर लगभग 26 है, कनाडा में यह लगभग 8 है और इंगलैण्ड में यह लगभग 5. 5 है। इसकी तुलन में भारत में इसकी दर 0.5 प्रति एक लाख जनसंख्या है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 'महिलाओं के विरूद्ध अपराध' पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है अर्थात् एक महीने में 800 तथा एक वर्ष में 9600 बलात्कार होते हैं। बलात्कार की शिकार महिलाओं ने निम्नांकित महत्वपूर्ण विशेषताओं को उद्घाटित किया है।

- बलात्कार सदैव पूर्णतया अपरिचित व्यक्तियों में नहीं होते
- प्रत्येक दस में से नौ बलात्कार परिस्थति से संबंधित होते हैं
- लगभग तीन - पंचम बलात्कार (58 प्रतिशत) एकल बलात्कार होते हैं (जिसमें एक ही अपराधी होता है), एक - पंचम (21 प्रतिशत) द्वय बलात्कार होते है (यानी, महिला के साथ दो आदमी बलात्कार करते हैं), और एक–पंचम (21 प्रतिशत) सामूहिक बलात्कार होते हैं।
- प्रत्येक 10 बलात्कारों में 9 में किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा या क्रूरता नहीं होती यानी अनेक मामलों में महिला को वश में करने के लिए प्रलोभन एवं/ या मौखिक दबाव काम में लिये जाते हैं
- तीन-चौथाई से कुछ कम बलात्कार (70 प्रतिशत) उत्पीड़ितों या उत्पीड़ित करने वालों के घरों में होते हैं और लगभग एक चौथाई (25 प्रतिशत) गैर - रिहाइशी भवनों में होते हैं और
- उत्पीड़ितों की सबसे ऊंची दर 15-20 वर्षों की आयु समूह में होती है, जबकि अधिकांशतया अपराधी 23-30 के आयु समूह के होते हैं। इस प्रकार शिकार चुनने में युवावस्था को विशेष महत्व दिया जाता है।

अपहरण करना और भगा ले जाना (Kidnapping And Abduction)

एक नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 16 वर्ष की कम आयु का लड़का) को उसके कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना ले जाने या फुसलाने को 'अपहरण' कहते है। 'भगा ले जाने' का अर्थ है कि महिला को इस उद्देश्य से जबरदस्ती, कपटपूर्वक या धोखेबाजी से ले जाना कि उसे बहका कर उसके साथ अवैध मैथुन किया जाये या इसकी इच्छा के विरूद्ध उसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने को बाध्य किया जाये। अपहरण में उत्पीड़क की सहमति महत्वहीन होती है, परन्तु भाग ले जाने में उत्पीड़क की स्वैच्छिक सहमति अपराध का माफ करवा देती है। अपहरण/भगा ले जाने की घटनाएं निम्नांकित प्रकार से उद्घाटित होती हैं।

- अविवाहित लड़कियों में भगा ले जाने के शिकार बनने की संभावना विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है।
- भगा ले जाने वाले व उनके शिकार अधिकांश प्रकरणों में एक दूसरे के परिचित होते हैं।
- भगा ले जाने वाले और उनके शिकार का प्रायः प्रारम्भिक संपर्क सार्वजनिक स्थानों के बजाय उनके घरों अथवा पड़ोस में होती हैं।
- अधिकांशतया भगा ले जाने में एक ही व्यक्ति लिप्त होता है। इस प्रकार अपराधी की ओर से धमकी या उत्पीड़क की ओर से विरोध भगा ले जाने के प्रकरणों में अधिक आम नहीं है।
- भगा ले जाने के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मैथुन (सेक्स) और विवाह होते हैं। आर्थिक उद्देश्य से भगा ले जाने वालों की संख्या मुश्किल से एक दशम होती है, और
- 80 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में भगा ले जाने के पश्चात् लैंगिक आक्रमण होता है।
- माता-पिता का नियंत्रण और परिवार में स्नेहपूर्ण संबंधों का अभाव भगा ले जाने वाले और पीड़ित के संपर्कों तथा लड़की के किसी परिचित व्यक्ति के साथ घर से भाग जाने के निर्णायक कारण होते है।

हत्या (Murder)

मानव हत्या विशेष रूप से नर अपराध है। यह सर्वविदित है कि मानव हत्या मादा शिकार नर शिकारों की तुलना में कम है। अमेरिका में मादा शिकार, नर-मादा यानी कुल मानव हत्या के शिकारों के 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच है, भारत में लगभग 27000 हत्याओं में से जो हर वर्ष होती है, महिलाओं की हत्याएं कुल संख्या की लगभग 10 प्रतिशत है। हत्या करने के

अपराध में कुल गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से 96.7 प्रतिशत पुरूष होते हैं और 3.3 प्रतिशत स्त्रियां होती है। हत्यारों (स्त्रियों के) और उनके शिकारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं-

- अधिकांश प्रकरणों (94 प्रतिशत) में हत्यारे और उनके शिकार एक ही परिवार के होते हैं
- लगभग चार -पंचम प्रकरणों में (80 प्रतिशत) हत्यारे 25-40 वर्षों के आयु समूह के होते हैं।
- लगभग आधी शिकार औरतें होती हैं जिनके पुरूष हत्यारे से पुराने संबंध (पांच वर्ष से अधिक) होते हैं। पीड़ितों की अपने पतियों / सास-ससुर के साथ बिताई गई औसत कालावधि 7.5 वर्ष पाई गई है ।
- हत्या की गई महिलाओं में से लगभग आधी बच्चों वाली होती है। बच्चों (पीड़ितों के) की औसत आयु 14.8 व संख्या 3.2 होती है।
- हत्यारे अधिकांशतया निम्न प्रस्थिति व्यवसाय और निम्न आय समूहों में होते हैं।
- दो-तिहाई हत्याएं (66 प्रतिशत) अनियोजित होती हैं और क्रोध या उत्तेजित भावावेश में की जाती हैं।
- चार- पंचम हत्यायें (80 प्रतिशत) बिना किसी सहायता के की जाती है। नियोजित हत्याओं में भी प्रायः सहापराधी परिवार के सदस्य होते हैं और
- महिलाओं की हत्या के प्रमुख कारण छोटे मोटे घरेलू झगड़े, अवैध संबंध और स्त्रियों की लम्बी बीमारी होते हैं।

दहेज से संबंधित हत्याएं (Dowry Deaths)

दहेज निषेधाज्ञा कानून, 1961 (डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961) ने दहेज प्रथा पर रोकलगा दी है, परन्तु वास्तव में यह समस्या आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। वास्तविक रूप में यह कभी सुनने में नहीं आता कि किसी पति या उसके परिवार पर दहेज लेने के आग्रह को लेकर कोई मुकदमा चलाया गया हो । यदि कुछ हुआ है तो यह विगत वर्षों में दहेज की मांग और उसके साथ-साथ दहेज को लेकर हत्याएं बढ़ी हैं। हमारे देश भारत में दहेज न देने अथवा पूरा नहीं देने के कारण प्रतिवर्ष हत्याओं की संख्या लगभग 5000 है। अर्थात् भारत में वर्तमान में हर 102 मिनट में एक दहेज से संबंधित हत्या होती है तथा एक दिन में 33 व एक वर्ष में लगभग 5000 | अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर एकान्त में और परिवार के सदस्यों की मिलिभगत से होती हैं। इसलिये अदालतें प्रमाण के अभाव में दंडित न कर पाने को स्वीकार करती हैं। कभी-कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी कठोर हो जाती है कि न्यायालय भी पुलिस अधिकारियों की कार्य कुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते हैं ।

दहेज हत्याओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

- मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है
- लगभग 70 प्रतिशत पीड़ित 21-24 वर्ष आयु समूह की होती हैं अर्थात् वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से ही परिपक्व होती हैं।
- यह समस्या निम्न जाति की अपेक्षा उच्च जाति की अधिक है।
- वास्तविक हत्या से पहले युवा वधु को कई प्रकार से सताया / अपमानित किया जाता है जो कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार के अव्यवस्थित स्वरूप को दर्शाता है।
- दहेज हत्या के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण समाज शास्त्रीय कारक अपराधी पर वातावरण का दबाव या सामाजिक तनाव है जो उसके परिवार को आंतरिक और बाहा कारणों से उत्पन्न होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारक हत्यारे का सत्तावादी व्यक्तित्व, प्रबल प्रकृति और उसके व्यक्तित्व का असमायोजन है।
- लड़की के शिक्षा स्तर और दहेज के लिये दी गई उसकी हत्या में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता और
- परिवार की रचना नव वधु के जलाने में निर्णायक भूमिका अदा करती है।

पत्नि को पीटना (Wife Battering)

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा विवाह के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि पति, जिसके लिये यह समझा जाता है कि वह अपनी पत्नि से प्रेम करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा, उसे पीटता है। एक स्त्री के लिये इस आदमी द्वारा पीटा जाना जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती है, एक छिन्न भिन्न करने वाला अनुभव होता है। हिंसा चांटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोड़ना, यातना देना, मार डालने की कोशिश और हत्या तक हो सकती है। हिंसा कभी कभी नशे के कारण भी हो सकती है परन्तु हमेशा नहीं । भारतीय संस्कृति में हमें बिरले ही पत्नि द्वारा पति से पीटने के मामले की शिकायत करने की बात सुनते हैं। वह मौन रहकर अपमान सहती है और उसे अपना भाग्य मानती है। यदि वह विरोध करना भी चाहती है तो नहीं कर सकती क्योंकि उसे डर होता है कि उसके माता-पिता भी विवाह के बाद उसे अपने घर में स्थाई रूप से रखने को मना कर देंगे।

पत्नि के पीटने की महत्वपूर्ण विशेषताएं इंगित करती हैं कि वे –

- पत्नियां जो 25 वर्ष की आयु से कम होती हैं, उनको उत्पीड़न का अनुपात अधिक होता है।
- उन पत्नियों को, जो अपने पति से पांच वर्ष से अधिक छोटी होती हैं, अपने पति द्वारा पीटे जाने का खतरा अधिक रहता है।
- कम आय वाले परिवारों की महिलाओं का अधिक उत्पीड़न होता है, यद्यपि परिवार की आय से उत्पीड़न को जोड़ना अधिक कठिन है।
- परिवार के आकार और उसकी रचना का पत्नि के पीटने से कोई परस्पर संबंध नहीं होता है।
- साधारणतया पतियों के पीटने के कारण पत्नियों को कोई गहरी चोट नहीं लगती है।
- पत्नि को पीटने के महत्वपूर्ण कारण है- यौन संबंधी असमायोजन, भावात्मक गड़बड़, पति का गर्वित अहम् या हीनभावना, पति का पियक्कड़ होना, ईर्ष्या और पत्नि की निष्क्रिय कायरता पीटने वाले पति के बचपन में हिंसा की विपदाग्रस्तता पत्नि के पीटने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है।
- यद्यपि अनपढ़ पत्नियों की शिक्षित पत्नियों की अपेक्षा पति द्वारा पीटे जाने की संभावना अधिक होती है, फिर भी पीटने और पीड़ितों के शैक्षिक स्तर में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता है।
- यद्यपि उन पत्नियों का जिनके पति शराबी होते हैं उत्पीड़न का अनुपात अधिक है परन्तु यह देखा गया है कि अधिकांश पति अपनी पत्नियों को नशे की हालत में न पीटकर उस समय पीटते हैं जब वे होश हवास में होते हैं।

विधवाओं के विरूद्ध हिंसा (Violence Against Widows)

सभी विधवाएं एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करती हैं, एक विधवा ऐसी हो सकती है जिसके कोई बच्चा न हो और जो अपने विवाह के एक या दो वर्षों में ही विधवा हो गई हो, या वह ऐसी हो सकती है जो पांच से 10 वर्षों के पश्चात् विधवा होती है और उसके एक या दो बच्चे पालने के लिये हों, या ऐसी जो 50 वर्ष की आयु से अधिक हो । यद्यपि इन तीनों श्रेणी की विधवाओं को सामाजिक, आर्थिक और भावानात्मक सामंजस्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली और तीसरी श्रेणियों की विधवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जबकि दूसरी श्रेणी की विधवाओं को अपने बच्चों के लिये पिता की भूमिका भी अदा करनी पड़ती है। पहली दो श्रेणियों की विधवाओं को जैविक सामंजस्य की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इन दो किस्मों कीविधवाओं का अपने पति के परिवार में इतना आदर-सत्कार नही होता जितना कि तीसरी किस्म का । वास्तव में जहां एक ओर परिवार के सदस्य विधवाओं की पहली दो श्रेणियों से मुक्ति चाहते हैं, वहीं तीसरी श्रेणी की विधवा अपने पुत्र के परिवार में मूल व्यक्ति हो जाती है क्योंकि उसको अपने पुत्र के बच्चों की देख-रेख का और काम पर जाने वाली पुत्रवधु की अनुपस्थिति में खाना पकाने का दायित्व सौंप दिया जाता है। विधवाओं की तीनों श्रेणियों की आत्मछवि और स्वाभिमान भी भिन्न होते हैं। एक विधवा की आर्थिक निर्भरता उसके स्वाभिमान और उसकी पहचान की भावना के लिये एक बड़ा खतरा पैदा कर देती है। परिवार की भूमिकाओं में उसके सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निम्न दर्जा

प्रदान किये जाने से उसका स्वाभिमान कम होता है। विधवा होने का कंलक ही अपने आप मे एक स्त्री को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उसका सम्मान अपनी ही दृष्टि में कम हो जाता है।

विधवाओं के विरूद्ध हिंसा में, पीटना, भावात्मक उपेक्षा/यातना, गाली गलौज करना, लैंगिक दुर्व्यवहार, संपत्ति में वैध हिस्से से वंचन, और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार सम्मिलित है। विधवाओं के विरूद्ध हिंसा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. युवा विधवाओं को अधेड़ विधवाओं की अपेक्षा अधिक अपमानित और तंग किया जाता है और उनका शोषण और उत्पीड़न भी अधिक होता है
2. सामान्यतया, विधवाओं को अपने पति के व्यापार, हिसाब-किताब, सर्टिफिकेटों, बीमें की पॉलिसियों और प्रतिभूतियों के बारे में जानकारी नहीं के बराबर होती है और वे अपने परिवार के बेईमान सदस्यों की धोखेबाजी के षड़यंत्रों की आसानी से शिकार हो जाती हैं और वे इस प्रकार उनकी विरासत में मिली सम्पत्ति और जीवनबीमा के फायदों को हड़पने का प्रयास करते हैं;
3. हिंसा के अपराधकर्ता अधिकांशतया पति के परिवार के सदस्य होते है;
4. उत्पीड़न के तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में - शक्ति, संपत्ति और कामवासना सम्मिलित हैं। संपत्ति मध्यमवर्ग की विधवाओं के उत्पीड़न का निर्णायक कारक होती हैकामवासना निम्न वर्ग की विधवाओं के और शक्ति मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग दोनों की विधवाओं के उत्पीड़न का निर्णायक कारक होती है
5. सास का सत्तावादी व्यक्तित्व और पति के भाई-बहनों का असमंजन विधवा के उत्पीड़न में महत्वपूर्ण कारक होते हैं, फिर भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक विधवा की निष्क्रिय कायरता होता है
6. आयु, शिक्षा और वर्ग का विधवाओं के शोषण में महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंध होता है, परन्तु परिवार की रचना और उसके आकार से उसके कोई परस्पर संबंध नहीं होते ।

हिंसा के शिकार (Victims Of Violence)

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के सभी प्रकरणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हिंसा के साधारणतया शिकार वे महिलाएं होती हैं;

1. जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्मछवि खराब होती है, जो आत्म अवमूल्यन से ग्रसित होती हैं या वो जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा के फलस्वरूप भावात्मक रूप से समाप्त हो चुकी हैं, या वे जो परार्थवादी विवशतता से ग्रस्त हैं
2. जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती हैं या ऐसे परिवारों में रहती हैं जिन्हें समाज में 'सामान्य' परिवार नहीं कहा जाता है। सामान्य परिवार वे है जो संरचनात्मक रूप से पूर्ण होते हैं (दोनों माता- -पिता जीवित हैं, और उनके साथ-साथ रह रहे हैं), आर्थिक रूप से निश्चित हैं, प्रयार्यात्मक रूप से उपयुक्त है और नैतिक रूप से नैष्ठिक है
3. जिनमें सामाजिक परिपक्वता की या सामाजिक अन्तर- वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी 3. जिसके कारण उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है
4. जिनके पति/ससुराल वालों के विकृत व्यक्तित्व हैं
5. जिनके पति बहुधा मदिरापान करते हैं।

हिंसा के अपराधकर्ता

महिलाओं के निम्न प्रकार के उत्पीड़न हो सकते हैं:

1. जो अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है और आत्म सम्मान कम होता है।
2. जिनमें व्यक्तित्व के दोष होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं।

3. जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं और प्रतिभाओं का अभाव होता है और जिनका व्यक्तित्व 3. समाजवैज्ञानिक रूप से विकृत होता है;
4. जिनकी प्रकृति में शक्कीपन, मालिकानापन और प्रबलता है;
5. जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं;
6. जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे और;
7. जो बहुत मदिरापान करते हैं।

हिंसा के प्रकार

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को निम्नलिखित छः भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं :-

1. हिंसा जो धन- अभिमुख होती है;
2. हिंसा जो कमजोर पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है;
3. हिंसा जिसका उद्देश्य भोग-विलास है;
4. हिंसा जो अपराधकर्ता की विकृति के कारण होती है;
5. हिंसा जो तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के कारण होती है; और
6. हिंसा जो पीड़ित प्रेरित होती है।

हिंसा के कारणों में - समाजशास्त्री बहुत सारे कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा कई बार स्वयं महिला के आचरण से सम्बन्धित होती है तो कभी यह हिंसा पुरूष के तानाशाही स्वभाव से संबंधित होती है। पुरूष द्वारा नशा करना, समाज द्वारा हिंसा को मान्यता मिलना, महिला का निरक्षर होना, पुलिस की निष्क्रियता, जातिगत रूढ़ियों परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति तथा जन जागरूकता इत्यादि प्रमुख कारण हैं।

सन्दर्भ

न्यू वेबस्टर 20 की सदी विश्वकोष
आशा बोहरा भारतीय नारी दशा - दिशा
नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
के शुभा वीमेन इन लोकल गवर्नेंस
आर वि एस ए पब्लिसर जयपुर 1994
एम ए अंसारी महिला और मानवाधिकार
ज्योति प्रकाशन ,जयपुर 2000
एम ए अंसारी राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय
नारी ज्योति प्रकाशन जयपुर 2020

पत्र-पत्रिकाए

- प्रतियोगिता दर्पण आगरा
- इण्डिया टुडे नई दिल्ली
- दैनिक भास्कर जयपुर
- राजस्थान पत्रिका जयपुर